रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901
No. 150] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1979

का० आ० 192(अ)/18 एफ बी/आई डी आर ए/79.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 170 (अ०)/18एए/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख 30 मार्च, 1979 द्वारा मैसर्स महादेव टेक्सटाइल्स मिल्स, हुबली, कर्नाटक नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का समस्त प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, ले लिया गया है;

और, केन्द्रीय सरकार का उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, इस दृष्टि से कि अनुसूचित उद्योग, अर्थात्, सूती वस्त्र उद्योग, में उत्पादन की मात्रा में कमी न आने पाए, यह समाधान हो गया है कि सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18खख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनमें उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन उपगत या उद्भूत सभी बाध्यताओं और दायित्वों का प्रवर्तन, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[फा० सं० 3/29/77-सी एस एम]

आर० रामकृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1979

S.O. 192(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 170(E)/18AA/IDRA/79, dated the 30th March, 1979, the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Mahadeva Textile Mills, Hubli, Karnataka (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the date of the publication of the said order in the Official Gazette ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking, it is neccesary so

to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely, cotton textile industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking is a party, or which may be applicable to such industrial undertaking, and all obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year.

[File No. 3/29/77-CSM]

R. RAMAKRISHNA, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979